लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **चेतन देवड़ा,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/90/2019 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः– 06.11.2019

श्री बदरीलाल काबरा पिता स्व. श्री रामचन्द्र काबरा निवासी कुम्भानगर, चित्तौड़गढ़

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 26.11.2019

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 01.10.2019 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 90/2019/(26.11)/673 दिनांक 06.11.2019 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 26.11.2019 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी सम संख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 26.11.2019 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखा कि मेरे द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 01.10.2019 से राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के सदस्य श्री डी. आर. मीणा द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 19.05.2012 पर, जिला कलक्टर

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

कार्यालय से संबंधित राजस्व विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना/प्रमाणित प्रतिलिपियां चाही गई, जबकि लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ ने मेरे आवेदन को आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ को भेज दिया और उसके द्वारा भी कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अतः मेरे आवेदन अनुसार सूचना उपलब्ध कराई जाने का आदेश प्रदान करावें।

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2019/163 दिनांक 08.11.2019 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः–

1. यह कि प्रार्थी श्री बद्रीलाल पिता रामचन्द्र काबरा निवासी क–4 हाउसिंग बोर्ड, कुम्भानगर, चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 01.10.2019 को प्रस्तुत किया जाना सही है।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही जा रही सूचना के समस्त तथ्य आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ के कार्यालय से संबंधित होने से प्रार्थी का मूल प्रार्थना पत्र इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2019/2289 दिनांक 11.10.2019 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ को अन्तरित किया गया है। पत्र की प्रति संलग्न है।
3. यह कि प्रार्थी को सूचना के संबंध में इस कार्यालय द्वारा पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2019/2289 दिनांक 11.10.2019 से अवगत करा दिये जाने से अब इस प्रकरण पर कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः प्रस्तुत प्रथम अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौडगढ (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 90 / 2019 (सू.अ.)
श्री बदरी लाल आगाल निवासी चित्तौड़गढ़ बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशा.) चित्तौड़गढ़

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक / एडीएम / पीए / लोसूअ / 2019 / 163 दिनांक 08.11.2019 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी का आवेदन लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ को स्थानान्तरित किया है।

किन्तु अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा उक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 19.05.2012 पर राजस्व विभाग द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी सूचना / प्रमाणित प्रतिलिपियां चाही गई थी जो उसे उपलब्ध नहीं कराई गई है।

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को 15 दिवस में उसके द्वारा वांछित सूचना निः शुल्क उपलब्ध करा पालना से अवगत करावें।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(चेतन देवड़ा)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्र. / सरिश्ता / प्र.सं. / 90 / 2019(सू.अ.) / 711 दिनांकः— 27 / 11 / 2019

प्रतिलिपिः—

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
2. श्री बदरी लाल काबरा पिता स्व. श्री रामचन्द्र काबरा निवासी क—4, हाउसिंग बोर्ड, कुम्भानगर, चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2019.12.24 12:18:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: